मुकदमा संख्या:-48/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख के जारी हुये
15.05.2024	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा धानता पटवार हल्का अरणाय में प्रार्थी के मालिकाना हक–हकुक खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 1335/660 करबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1336/661 रकबा 0.35 हैक्टैयर, जुमले रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त की आई हुई है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा होने पर कब्जा सहज व शांति पूर्ण निर्बाध रूप से प्रार्थी का चला आ रहा है तथा उक्त आराजी पर प्रार्थी की रहवासीय ओरड़ी बनी हुई है जिसमें प्रार्थी मौसम अनुसार रहवास करता है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 ने नाजायज गिरोह बनाकर हर समय हाथों में धारीये, लाठियों से सृजित होकर प्रार्थी के सहज व शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में दखलंदाजी करते रहते है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रेकॉर्डेड खातेदार है तथा उक्त आराजी पर प्रार्थी का माफिक कब्जे काश्त अनुसार भूमि की तरमीम भी हो चुकी है तथा मौके पर माफिक तरमीम अलग अलग मोठ कायम होने से अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों मुलभूत कानुनी स्तम्भ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते बहस में निवेदन किया कि खेत खसरा संख्या 1335/660 रकबा 0.33 हैक्टैयर भूमि प्रार्थी की कतई नहीं थी, खसरा संख्या 660 रकबा 1.34 हैक्टेयर भूमि मौके पर पुर एक चक बना हुआ है पुरे चक हम अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है तथा प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, खसरा संख्या 660 रकबा 1.34 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी हड़मता की रहवासीय ढाणी बनी हुई है जिसमें अप्रार्थी परिवार सहित निवास करता है, प्रार्थी ने गलत एवं मनगंढत तथ्ये लिखे है उक्त भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं है, न ही प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन है तथा प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति नहीं होनी है तीनों कानूनी स्तम्भ प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया, अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **:– आदेश :–** अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा धानता, पटवार हल्का–अरणाय के खेत खसरा संख्या 1335/660 रकबा 0.33 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1336/661 रकबा 0.35 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण तो स्वयं दखलंदाजी करे तथा ना ही अन्य किसी करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मुल वाद के साथ नत्थी हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, कलक्टर (फास्ट ट्रैक) सांभर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:39:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, कलक्टर मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) सांभर